



Neutral Citation No. - 2026:AHC:29977

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 2021/2026

डॉ. रोहित चक

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : शारंगपानी विक्रमधर द्विवेदी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सहायक शासकीय अधिवक्ता, उग्रसेन कुमार पांडे

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.वी. द्विवेदी की ओर से उपस्थित श्री सुरेश कुमार गुप्ता और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक के विद्वान अधिवक्ता श्री उग्रसेन कुमार पांडे की दलीलें सुनी गईं।
2. श्री एस.पी. द्विवेदी की ओर से पेश हुए श्री सुरेश कुमार गुप्ता ने इस रिट याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया है और याचिकाकर्ता को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में जाने की स्वतंत्रता देने का अनुरोध किया है, क्योंकि याचिकाकर्ता संविदा डॉक्टर के रूप में कार्यरत रहते हुए रेलवे के खिलाफ राहत की मांग कर रहा है।
3. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. तदनुसार, रिट याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज किया जाता है और याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार इस मामले पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र रखने वाले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में जाने की स्वतंत्रता दी जाती है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

11 फरवरी, 2026

सुषमा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"